

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल 2010—चैत्र 11, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2010

क्र. 2227-143-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 मार्च, 2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ११ सन् २०१०

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम , २०१०.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा १०-क का स्थापन.
४. धारा २० का संशोधन.
५. धारा २०-क का संशोधन.
६. धारा ३९ का संशोधन.
७. धारा ४२ का संशोधन.
८. धारा ७१ का संशोधन.
९. अनुसूची-१ का संशोधन.
१०. अनुसूची-२ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१०.

[दिनांक २९ मार्च, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १ अप्रैल, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा २ के खण्ड (दो) और धारा ३ के उपबंध १ अगस्त, २००९ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे; और

(ख) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध इस अधिनियम के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ज क) “पका हुआ भोजन” से अभिप्रेत है होटलों, रेस्तरां और इनके सदृश द्वारा तैयार किया गया तथा परोसा गया भोजन, जिसमें तैयार चाय और तैयार काफी सम्मिलित हैं;”;

(दो) खण्ड (प) के स्पष्टीकरण के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(घ) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जब किसी व्यापारी की किसी इकाई से उसी व्यापारी की अन्य इकाई को, अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट माल का ऐसी इकाई में विक्रय हेतु या अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण में / के लिए उपभोग या उपयोग के लिए अंतरण किया जाता है और वह व्यापारी ऐसी प्रत्येक इकाई के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण करता है, तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, दो स्वतंत्र विक्रय या क्रय हुए समझे जाएंगे.”

धारा १०-क का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा १०-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

कतिपय माल पर क्रय कर का उद्ग्रहण.

“१०-क. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यापारी, जो अपने कारबार के अनुक्रम में ऐसे माल का क्रय करता है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, अधिसूचित माल के क्रय मूल्य पर चार प्रतिशत की दर से कर के भुगतान के दायित्वाधीन होगा:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसे माल के क्रय पर कोई कर देय नहीं होगा, यदि माल का उपभोग राज्य के भीतर विनिर्माण की ऐसी प्रक्रिया में किया गया है जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए.

- (२) इस धारा के अधीन किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से किए गए क्रयों के संबंध में, जिसके द्वारा इस धारा के अधीन कोई कर देय है और जिसने विक्रय बिल पर यह विवरण देते हुए घोषणा की है कि ऐसे माल पर उसके द्वारा इस धारा के अधीन कर देय है, कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।
- (३) इस धारा के अधीन किसी ऐसे व्यापारी के संबंध में, उस तारीख से, जिसको कि अधिसूचित माल के क्रय मूल्य का योग, एक वर्ष में पहली बार में पांच करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है, कर उद्गृहीत किया जाएगा:

परन्तु अधिसूचित माल के निम्नलिखित क्रय मूल्यों को इस धारा के अधीन कर का दायित्व निर्धारण करने के लिए क्रय मूल्यों के योग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा:—

- (एक) राज्य के बाहर से क्रय किए गए अधिसूचित माल का क्रय मूल्य;
- (दो) ऐसे अधिसूचित माल के क्रय मूल्य जिनका उपधारा (६) के अधीन घोषणा पर विक्रय किया गया हो;
- (तीन) ऐसे अधिसूचित माल का क्रय मूल्य जिनका कि उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना की तारीख के पूर्व क्रय किया गया हो;
- (चार) ऐसे अधिसूचित माल का क्रय मूल्य जिनका कि उपधारा (१) के परन्तुक के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनिर्माण की प्रक्रिया में क्रय के पश्चात् उपभोग किया गया हो।
- (४) प्रत्येक व्यापारी, जो उपधारा (१) के अधीन कर के भुगतान के दायित्वाधीन है, लगातार उन दो वर्षों के अवसान होने तक ऐसा दायी बना रहेगा, जिनके कि दौरान अधिसूचित माल के क्रय मूल्यों का कुल योग उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होता है और ऐसी कालावधि का अवसान होने पर, इस धारा के अधीन, उसका कर के भुगतान का दायित्व समाप्त हो जाएगा।
- (५) प्रत्येक व्यापारी जो उपधारा (१) के परन्तुक के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनिर्माण में लगा हुआ है, विहित प्राधिकारी से, विहित रीति में, मान्यता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करेगा।
- (६) यदि कोई व्यापारी, जो इस धारा के अधीन कर के भुगतान का दायी है, किसी ऐसे व्यापारी को अधिसूचित माल का विक्रय करता है, जो कि ऐसी रीति एवं प्ररूप में, जैसी कि विहित की जाए, जारी घोषणा पर मान्यता प्रमाण-पत्र रखता है तो वह विक्रयकर्ता व्यापारी विक्रय किए गए माल के क्रय मूल्य की कटौती का दावा करने का हकदार होगा और ऐसा क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्यों के योग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- (७) यदि मान्यता प्रमाण-पत्र धारण करने वाला व्यापारी अधिसूचित माल का क्रय करता है, और ऐसे माल का उपधारा (१) के परन्तुक में यथाविनिर्दिष्ट विनिर्माण में उपयोग करने के स्थान पर, ऐसे माल किसी अन्य रीति में विक्रय करता है अथवा उसका निपटारा करता है, तो वह उस माल के क्रय मूल्य पर ४ प्रतिशत की दर से कर के भुगतान का दायी होगा।
- (८) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन, किन्हीं ऐसे संव्यवहारों को, जिन्हें कि वह उचित समझे, उतनी कालावधि के लिए जितनी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, कर के भुगतान से चाहे भूतलक्षी प्रभाव से या भविष्यलक्षी प्रभाव से छूट प्रदान कर सकेगी।”

४. मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (४) में, खण्ड (क) में, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर धारा २० का “धारा २०-क की उपधारा (१) के अधीन” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर “धारा २०-क की उपधारा (१) और (१-क) के अधीन” स्थापित किए जाएं संशोधन.

धारा २०-क का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २०-क में,—

(एक) उपधारा (१) में, परन्तु क में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तु क अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, खण्ड (क) में यथाविनिर्दिष्ट विवरणियां/पुनरीक्षित विवरणियां प्रस्तुत करने की तारीख, ०.५ प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज के साथ, जो कि धारा १८ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के उपबंध के अनुसार देय ब्याज के अतिरिक्त होगा, बढ़ा सकेगी.”;

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(२) उपधारा (१) और (१-क) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, आयुक्त, उतनी संख्या में ऐसे व्यापारियों का, पुनः निर्धारण के लिए चयन करेगा, जैसा कि वह उचित समझे, जिनका निर्धारण किसी वर्ष के लिए धारा २० की उपधारा (१) के अधीन, उपधारा (१) और (१-क) के उपबंधों के अनुसार किया गया समझा गया है और ऐसा चयन उक्त वर्ष के ठीक आगामी वर्ष के दौरान किया जाएगा.”.

धारा ३९ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३९ में, उपधारा (५) में, कोष्ठक और अंक “(१)” के स्थान पर, कोष्ठक और अंक “(२)” स्थापित किए जाएं.

धारा ४२ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ४२ में, उपधारा (२) को उपधारा (३) के रूप में पुनर्क्रमांकित की जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (३) के पूर्व निम्नलिखित नई उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(२) आयुक्त धारा ४६ के अधीन किसी भी कार्यवाही या कार्यवाहियों के वर्ग को, धारा ३-क के अधीन नियुक्त किसी अपीली प्राधिकारी से किसी अन्य अपीली प्राधिकारी को अंतरित कर सकेगा और किसी ऐसी कार्यवाही या कार्यवाहियों के अंतरण के बारे में सूचना व्यापारी को भेजी जाएगी.”.

धारा ७१ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ७१ में उपधारा (२) में, खण्ड (ड क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ड ख) वह रीति जिसमें धारा १०-क की उपधारा (५) के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा तथा वह रीति तथा प्ररूप जिसमें धारा १०-क की उपधारा (६) के अधीन घोषणा जारी की जाएगी;”.

अनुसूची-१ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में,—

(एक) अनुक्रमांक ७७ के सामने, कालम (२) में, शब्द “आटा चक्की” के स्थान पर, शब्द “आटा चक्की तथा उसके पुर्जे, जिसमें पाट सम्मिलित है” स्थापित किए जाएं;

(दो) अनुक्रमांक ८३ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“८४. ईसबगोल

८५. अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों के उत्पाद.

जब अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा विक्रय किया जाए और ऐसे उत्पादों का कुल वार्षिक टर्न ओवर पच्चीस लाख रुपए से कम हो.”.

अनुसूची-२ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ में,—

(एक) भाग-दो में,—

(क) अनुक्रमांक ७१ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“७२. पका हुआ भोजन

५”;

- (ख) अनुक्रमांक ७४ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—
- “७५. बुरादा ५”;
- (दो) भाग-तीन में,—
- (क) अनुक्रमांक ४, ६ और ७ के सामने, कालम (३) में, अंक “१२.५” के स्थान पर, अंक “१३” स्थापित किए जाएं.
- (ख) अनुक्रमांक ९ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—
- “१०. पूंजीगत माल (प्लॉट तथा मशीनरी और मोटरयान से भिन्न) जिन पर क्रय करते समय, अधिनियम के अधीन कर चुकाया गया हो और ऐसे क्रय पर कोई आगत कर रिबेट अनुज्ञेय न हो.
- (तीन) भाग-चार में, कालम (३) में, अंक “१२.५” के स्थान पर, अंक “१३”, स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2010

क्र. 2228-143-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 11 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ACT, 2010

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title, and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Substitution of Section 10-A.
4. Amendment of Section 20.
5. Amendment of Section 20-A.
6. Amendment of Section 39.
7. Amendment of Section 42.
8. Amendment of Section 71.
9. Amendment of Schedule I.
10. Amendment of Schedule II.

MADHYA PRADESH ACT

No. 11 of 2010.

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ACT, 2010

[Received the assent of the Governor on the 29th March, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 1st April, 2010.]

An ACT further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Act, 2010.

(2) (a) The provisions of clause (ii) of Section 2 and Section 3 of this Amending Act shall be deemed to have come into force from 1st August, 2009; and

(b) the remaining provisions of this Amending Act shall come into force from the date of publication of this Act in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the Principal Act),—

(i) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely —

“(ha) “cooked food” means meals prepared and served by hotels, restaurants and the like, including prepared tea and prepared coffee;”;

(ii) for clause (d) of explanation to clause (u), the following clause shall be substituted, namely :—

“(d) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, two independent sale or purchase shall, for the purposes of this Act, be deemed to have taken place, when the goods specified in Schedule II are transferred from a unit of a dealer to another unit of the same dealer for sale or for consumption or use in/for manufacture of goods specified in Schedule II in such unit and the dealer holds separate registration certificate for each of such units.”.

Substitution of Section 10-A.

3. For Section 10-A of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Levy of purchase tax on certain goods.

“10-A (1) Notwithstanding anything to contrary contained in this Act, every dealer who in course of his business purchases goods as may be notified by the State Government, shall be liable to pay tax at the rate of four percent on the purchase price of the notified goods :

Provided that no tax under this section shall be payable on the purchases of such goods, if the goods are consumed in the process of manufacture as may be specified by the State Government, within the State.

(2) No tax under this section shall be levied in respect of the purchases made from a registered dealer by whom tax under this section is payable and who has declared by putting a statement on the sale bill that tax under this section is payable by him on such goods.

(3) The tax under this section shall be levied in respect of a dealer from the date on which aggregate of the purchase prices of goods notified exceeds rupees five crores in the first instance, in a year :

Provided that the following purchase prices of notified goods shall not be included in the aggregate of the purchase prices for determination of liability to pay tax under this section :—

(i) Purchase price of notified goods purchased from outside the State;

- (ii) Purchase price of notified goods which have been sold against declaration under sub-section (6);
- (iii) Purchase price of notified goods which have been purchased before the date of notification under sub-section (1);
- (iv) Purchase price of notified goods which have been consumed after purchase, in the process of manufacture as specified under proviso to sub-section (1).

(4) Every dealer who is liable to pay tax under sub-section (1) shall continue to be so liable until the expiry of two consecutive years during which aggregate of purchase prices of the notified goods has not exceeded the limits specified in sub-section (3) and on the expiry of such period his liability to pay tax under this Section shall cease.

(5) Every dealer who is engaged in the manufacture as specified under proviso to sub-section (1) shall obtain a certificate of recognition in the prescribed manner from the prescribed authority.

(6) If a dealer, who is liable to pay tax under this Section, sells the notified goods to a dealer, who holds a certificate of recognition, against a declaration issued in the manner and form as may be prescribed, the selling dealer shall be entitled to claim deduction of the purchase price of the goods sold and such purchase price shall not be included in the aggregate of purchase prices.

(7) If the dealer holding certificate of recognition purchased the notified goods and instead of using such goods in the manufacture as specified in proviso to sub-section (1), sells or disposes off such goods in any other manner, he shall be liable to pay tax at the rate of 4 percent on the purchase price of those goods.

(8) The State Government may, by notification, exempt whether prospectively or retrospectively any transactions, as it may deem fit, from payment of tax under this Section for such period as may be specified in the notification.”

4. In Section 20 of the Principal Act, in sub-section (4), in clause (a), for the words, bracket, figures and letter “under sub-section (1) of Section 20-A”, the words, brackets, figures and letters “under sub-section (1) and (1A) of Section 20-A” shall be substituted.

Amendment of Section 20.

5. In Section 20-A of the Principal Act,—

Amendment of Section 20-A.

(i) in sub-section (1), in the proviso, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

“ Provided further that the State Government May, by notification, extend the dates of filing of returns/revised returns as specified in clause (a) with an interest of 0.5 percent per month, which shall be in addition to the interest payable in accordance with the provision of clause (a) of sub-section (4) of Section 18.”;

(ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) and (1A), the Commissioner shall select for reassessment a number of such dealers, as he deems fit, whose assessment for a year is deemed to have been made under sub-section(1) of Section 20 in accordance with the provisions of sub-section (1) and (1A) and such selection shall be made during the year immediately following the said year.”.

6. In Section 39 of the Principal Act, in sub-section (5), for the bracket and figure “(1)” the bracket and figure “2” shall be substituted.

Amendment of Section 39.

7. In Section 42 of the Principal Act, sub-section (2) shall be renumbered as sub-section (3) and before sub-section (3) as so renumbered, the following new sub-section shall be inserted, namely :—

Amendment of Section 42.

“(2) The Commissioner may transfer any proceeding or class of proceedings under section 46 from an Appellate Authority appointed under section 3-A to any other Appellate Authority, and intimation about the transfer of any such proceeding or proceedings shall be sent to the dealer.”.

Amendment of Section 71.

8. In Section 71 of the Principal Act, in sub-section (2), after clause (ea), the following clause shall be inserted, namely :—

“(eb) the manner in which recognition certificate shall be obtained under sub-section (5) of Section 10-A and the manner and the form in which declaration shall be issued under sub-section (6) of Section 10A;”.

Amendment of Schedule I.

9. In Schedule I of the Principal Act,—

(i) against serial number 77, in column (2) for the words “Atta Chakki”, the words “Atta Chakki and its parts including Pat” shall be substituted;

(ii) after serial number 83, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

“84 Isabgol

85. Products of Research and Training Institutes when sold by the Research and Training Institutes and total annual turnover of such products is less than rupees twenty five lacs”.

Amendment of Schedule II.

10. In Schedule II of the Principal Act,—

(i) in part II,—

(a) after serial number 71, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

“72. Cooked food 5”;

(b) after serial number 74, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted namely :—

“75. Saw dust 5”;

(ii) in part III,—

(a) against serial numbers 4, 6 and 7, in column (3), for the figure “12.5”, the figure “13” shall be substituted;

(b) after serial number 9, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

“10. Capital goods (other than plant and machinery and motor vehicle), on which tax under the Act has been paid at the time of purchase and no input tax rebate was admissible on such purchase. 1.5”;

(iii) in part IV, in column (3), for the figure “12.5”, the figure “13” shall be substituted.